बजट आवंटन

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–सी–0036 / बजट / 06–जिला / आवंटन / 2020–21 लखनऊ :: दिनांक :: 01 मार्च, 2021

विषय– वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–13 के "लेखाशीर्षक 2515 के अधीन 06–संग्रहीत जिला कार्यालय" के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि संलग्न शासनादेश संख्या–2 / 2020 / 578 / 38–3–2020–42 / 2018 दिनांक 03 अप्रैल, 2020 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–102–सामुदायिक विकास–06–संग्रहीत जिला कार्यालय" के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृति रू0 2,14,24,72,000.00 (रू0 दो अरब चौदह करोड़ चौबीस लाख बहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष संलग्न एलाटमेंट ग्रिड संख्या–C0036.BUDGET.06ZILA.2020.2021 दिनांक 01–03–2021 में दिये गये विवरण के अनुसार रूपये 78,02,455.00 (रू0 अट्ठहत्तर लाख दो हजार चार सौ पच्चपन मात्र) सुसंगत मद में निर्धारित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपको आवंटित की जाती है:–

1– यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमें व्यय करने के पहले स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

2– इस हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का भी कड़ाई से अनुपालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो।

3– इसके अतिरिक्त वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1195 / दस –16 / 94 दिनॉक 06.जून,1994 तथा पत्र संख्या–1 / 2020 / बी–1–149 / दस–2020–231 / 2019 दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश संख्या–2 / 2020 / 578 / 38–3– 2020–42 / 2018 दिनांक 03 अप्रैल, 2020 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के अधीन लेखार्षीशक– "2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यकम" के अन्र्तगत संलग्नक मे दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखा शीर्षक / प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा।

5– उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 44–45 पर अंकित कर ली गयी है।

6– अस्तु पूर्ण रिकन्साइल्ड मासिक व्यय विवरण (बी0एम0–4) डी.डी.ओ. रिकन्सीलेशन शीट सहित आहरण के अगले माह की 10 तारीख तक इस कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनॉक का उल्लेख अवश्य किया जाय।

(जनमेजय शुक्ल)
उपायुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अपर आयुक्त(वित्त),
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक– सी–0036 / बजट / 06–जिला / 2020–21, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2।
6. संयुक्त आयुक्त, ग्राम्य विकास की वेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. गार्ड फाइल हेतु।

(राजेश कुमार पाण्डेय)